न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज,पूर्वी चम्पारण।

<u>आदेश</u>

स्वत्व वाद संख्या 30/2020

दिनांकः 8.11.2023 वाद पुकारा गया प्रस्तुत मामला प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 17.06.2023 को प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है।

प्रस्तुत मामले में प्रतिवादी का कथन है कि प्रतिवादीगण दिनांक 16.07.2021 को हाजिर हुए और उसी दिन अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया यह कि पीठासीन पदाधिकारी का स्थानांतरण हो चुका था इसलिए प्रतिवादीगण का लिखित कथन स्वीकृत नहीं हो सका। यह कि प्रतिवादीगण ने ससमय लिखित कथन प्रस्तुत किया है उनका लिखित कथन मंजूर किये जाने की कृपा करें।

वादी की तरफ से मामले में आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि प्रतिवादीगण ने दिनांक 17.06.2023 को प्रस्तुत आवेदन दाखिल किया है जो काफी विलंब से है यह कि वाद की सारी प्रक्रिया उपस्थिति हेतु पूरी कर ली गयी थी परंतु प्रतिवादीगण ने न्यायालय में 16.07.2021 को अपना जबाव दाखिल किया परंतु आज तक बयान तहरीरी मंजूर होने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। अतः आवेदन दिनांक 17.06.2023 का खारिज करने की कृपा करें।

उभय पक्षों को सुना। मामले में प्रतिवादीगण के आवेदन का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि मामले में लिखित कथन न्यायालय में दिनांक 16.07.2021 को प्रस्तुत किया गया परन्तु उसके पश्चात मंजूर करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी जिससे की वाद में अनावश्यक विलंब हुआ जिसकी पुरी जिम्मेदारी प्रतिवादी की है। मामले में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विरोध में है। मामले में चूंकि प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित हो चुके थे तथा मामले के सम्यक निस्तारण हेतु उभय पक्षों का उपस्थित होना आवश्यक है अतः प्रस्तुत मामले में प्रतिवादीगण का दिनांक 16.07.2021 का लिखित कथन 100रु खर्चे के साथ जो वादी को देय होगा, स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक .....वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

अवर न्यायाधीश
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।